-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना तिन्दवारी क्षेत्र में वर्ष- 2017 में एक सुवक को शराब में जहर मिलाकर हत्या करने वाले 02 अभियक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन कन्विक्शन”** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2017 में थाना तिन्दवारी क्षेत्र में एक युवक को शराब में जहर मिलाकर हत्या करने वाले 02 अभियक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना तिन्दवारी क्षेत्र परसौडा के रहने वाले शिवसागर पुत्र राजाभईया ने दिनांक 12.09.2017 को थाना तिन्दवारी पर सूचना दी कि मेरे भाई को गांव के काशी प्रसाद व गुमान वर्मा ने शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में थाना तिन्दवारी में मु0अ0सं0 183/17 धारा 302/34/328/120(बी) भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश सरोज द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 07.01.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। अभियोजक श्री श्रवण तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान तथा पैरोकार आरक्षी मुकेश वर्मा के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को मा0 सत्र न्यायालय बांदा द्वारा 02 अभियक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. काशी प्रसाद पुत्र बिंदा प्रसाद निवासी परसौडा थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।
2. गुमान वर्मा पुत्र देवीचरन निवासी परसौडा थाना तिन्दवारी जनपद बांदा।

अभियोजक
श्री श्रवण तिवारी

विवेचक
निरी0 श्री राकेश सरोज

कोर्ट मोहर्रिर
म0आ0 शिप्रा सचान

पैरोकार
आ0 मुकेश वर्मा